

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
गीतावाई बनाम बालू  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 116/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/श्रीमती <u>गीतावाई 0/0 बर्रा डांगी, ध-नालाम</u>          पिता श्री <u>बरदा डांगी, प्रतापी बाई 0/0 भगवानलाल डांगी</u>  <del>बरदा डांगी, प्रतापी बाई 0/0 भगवानलाल डांगी</del>          निवासी- <u>गिलुड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....  <u>गिलुड</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... 615</p> <p>कुल कीता ..... 1 ..... कुल रकबा <u>0.6700</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिलुड</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर ..... <u>615</u> .....</p> <p>कुल कीता ..... 1 ..... रकबा <u>0.6700</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>700.00</u> रुपये अक्षरे <u>सात सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">240 (सहायक खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>